



**राष्ट्रीय शालिका दिवस की शुभकामनाएं**  
24 जनवरी, 2022



**शालिकाओं के कल्याण, विकास, संरक्षण तथा सराफिकरण के लिये हरियाणा सरकार की योजनाएं।**

- प्रदेश में गिरते लिंगानुपात तथा शालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा के लिए राज्य में बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ कार्यक्रम लागू।
- सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों तथा प्रयासों के अंतर्गत राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात का आंकड़ा वर्ष 2021 में 914 हुआ।
- अपनी बेंटी हमारी बेंटी योजना के अंतर्गत 22.01.2015 या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहली बेंटी के जन्म पर 21000/- ₹0 तथा सभी परिवारों को दूसरी बेंटी के जन्म पर 21000/- ₹0 की राशि और दिनांक 24-08-2015 से परिवार में जन्मी तीसरी बेंटी को भी दूसरी बेंटी की तज पर इस स्कीम के अंतर्गत कवर।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत राज्य में अब तक शालिकाओं को 821943 आगे चले।
- विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने वाली शालिकाओं को राष्ट्रीय शालिका दिवस के अवसर पर सम्मानित करने के लिये राज्य नीति।
- शालिकाओं के कल्याण तथा विकास को सुनिश्चित करने तथा उनके समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा कन्या कोष का गठन।
- शालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शालिका दिवस प्रतियोगिताओं की प्रत्येक जिले में नियुक्त।
- बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण तथा दूध की कमी को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान लागू।
- राज्य सरकार द्वारा पौष्टिक अंतरालों से बच्चों को सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012 को ज़रूरी रूप से लागू, 6692 जगहों पर शालिकाओं को सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012 को ज़रूरी रूप से लागू, 6692 जगहों पर शालिकाओं को सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012 को ज़रूरी रूप से लागू।
- 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों जिन्होंने अपने साक्षात्कार / कानूनी अतिरिक्त / इसके साक्षात्कार दोनों को कोविड-19 के कारण छोड़ा है के पुनर्वास और सहायता करने की मुख्यमंत्री शालिका योजना का शुभारंभ 12.8.2021 को किया गया है।
- शालिकाओं की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किशोरी शालिकाओं को पुरस्कार योजना।
- 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी शालिकाओं को आत्मविकास, सराफिकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में किशोरी शालिकाओं के लिए योजना लागू।
- 5 अगस्त, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया गया। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक माह मुफ्त सीनेदारी तैयार किए जाने के लिए योजना शुरू की गई है।
- मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत लगभग 9.78 लाख बच्चों तथा लगभग 3.11 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 8 दिन, 200 मिलीली ऑर्टोसाईज्ड सुगंधित, रिकमंड मिस्क दूध प्राप्त हो रहा है।



**शिक्षा एवं शालिका विकास विभाग, हरियाणा**  
ब्लॉक नं० 15-20, | सैक्टर-4, पंचकुला।  
वेबसाइट: [www.wcdhry.gov.in](http://www.wcdhry.gov.in)  
E-mail: [wcd@hry.nic.in](mailto:wcd@hry.nic.in)

